(19)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
पारित द्वारा : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

प्रकरण क्रमांक 3216–तीन/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 6–6–2013 पारित द्वारा नायब तहसीलदार हुजूर सर्किल गोविन्दगढ जिला रीवा प्रकरण क्रमांक 74/अ–6/2011–12

रामरती पत्नी बाल्मीक प्रसाद पटेल
निवासी डीही तहसील हुजूर जिला रीवा
म0प्र0

– – – – – आवेदक

विरूद्ध

इन्द्रपाल पाण्डेय तनय रामावतार पाण्डेय
निवासी गढवा तहसील हुजूर जिला रीवा
म0प्र0

– – – – – अनावेदक

– – – – –

श्री शिवबहादुर सिंह, अभिभाषक, आवेदक
श्री इन्द्रपालसिंह पाण्डे, अभिभाषक, अनावेदक

– – – – –

आदेश पारित
दिनांक 11 दिसम्बर 2014

– – – – –

यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार हुजूर सर्किल गोविन्दगढ जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 74/अ–6/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 6–6–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक इन्द्रपाल पाण्डेय द्वारा नायब तहसीलदार तहसील हुजूर सर्किल गोविन्दगढ जिला रीवा के समक्ष ग्राम दूवी पटवारी हल्का बिहरिया सर्किल गोविन्दगढ स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 250 रकवा 0.388है0,

सर्वे क्रमांक 251 रकवा 5.375 एवं सर्वे क्रमांक 253 रकवा 0.910 है0 भूमि के नामांतरण हेतु रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18–6–1984 के आधार पर आवेदक एवं अन्य 8 व्यक्तियों को पक्षकार बनाकर धारा 109/110 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ की गई। प्रकरण प्रचलित रहने के दौरान आवेदक के अभिभाषक द्वारा दिनांक 21–3–2013 को इस आशय का आवेदन दिया कि विक्रय पत्र पर उसके फर्जी हस्ताक्षर निशानी अगूठा लगाये गए हैं जिसकी हस्तलिपि विशेषज्ञ से जांच कराई जाये। नायब तहसीलदार ने अपने अंतरिम आदेश दिनांक 6–6–2013 को उक्त आवेदन निरस्त किया। नायब तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक का मुख्य तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय में आवेदक ने इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया था कि उसने अपने हक एवं हिस्से की भूमि का विक्रय नहीं किया था और न ही रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में अपना अगूंठा निशानी लगाई। विक्रय पत्र में उसका अंगूठा फर्जी है। अतः उसकी जांच कराई जाए इस आवेदन की सुनवाई के समय अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 6–6–2013 को तर्क हेतु तारीख निश्चित की थी। दिनांक 6–6–2013 को तर्क नहीं सुना गया एवं तर्क हेतु दिनांक 17–6–2013 नियत कर दी गई थी, परन्तु आवेदक के जाने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने बिना आवेदक को सुने ही पुनश्चः करके आवेदक का धारा 45 का आवेदन खारिज कर दिया तथा प्रकरण अंतिम तर्क हेतु निर्धारित कर दिया गया, जबकि उक्त रजिस्ट्री में लगे अगूंठा की जांच हस्तलिपि विशेषज्ञ से कराया जाना आवश्यक था, जिससे न्याय के उद्देश्य की पूर्ती नहीं होती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 6–6–2013 निरस्त किया जाये।

4/ अनावेदक अभिभाषक ने तर्क दिया कि आवेदक द्वारा किया गया विक्रय पत्र फर्जी नहीं था क्योंकि इसी इसी विक्रय पत्र के आधार पर पूर्व में भूमि के 1/2 भाग पर नामांतरण मेरे सह क्रेतागण का हो चुका है जिस पर आवेदक ने कोई आपत्ति नामांतरण के समय विक्रय पत्र के संबंध में नहीं उठाई। यदि अगूंठा निशानी फर्जी है तो

उस विक्रय पत्र को निरस्त कराने की कार्यवाही आवेदक द्वारा की जानी चाहिए थी एवं पूर्व में इस भूमि को मेरे साथ क्रय करने वाले क्रेता द्वारा नामांतरण की कार्यवाही के समय आपत्ति करना चाहिए थी। आवेदक इस प्रकरण में विलम्ब करना चाहते हैं इसलिए बार बार अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन देते हैं एवं एक आवेदन निरस्त होने के पश्चात जब अधीनस्थ न्यायालय में अग्रिम कार्यवाही शुरू होती है तब प्रकरण में पुनः कोई आवेदन प्रस्तुत कर देते हैं। अनाश्यक विलम्ब करने के उद्देश्य से यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय में पेशी दिनांक 6–6–13 को निर्धारित की गई थी और दिनांक 6–6–2013 को तर्क हेतु दिनांक 17–6–13 नियत की गई, परन्तु यह स्पष्ट है कि उस आदेशिका पर तहसीलदार के हस्ताक्षर नहीं थे और रीडर द्वारा पेशी दी गई थी, बाद में तहसीलदार के उपस्थित होने पर तहसीलदार ने प्रकरण में सुनवाई कर धारा 45 का आवेदन निरस्त किया गया, जिसपर तहसीलदार के हस्ताक्षर हैं। इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि एक बार तिथि देने के पश्चात तहसीलदार ने प्रकरण में आदेश पारित किया है। अनावेदक अभिभाषक ने यह भी तर्क दिया कि आवेदक ने दिनांक 21–6–2011 को एक आवेदन दिया था जिसका जबाव अनावेदक ने दिया। उसके बाद अनावेदक की गवाही शुरू हुई, साक्ष्य हुये, शपथ पत्र भी दिया गया एवं प्रतिपरीक्षण हेतु प्रकरण लगाने के बाद दिनांक 15–6–12 को प्रतिपरीक्षण पूर्ण भी चुका है तथा उसके बाद आवेदक ने स्थल निरीक्षण कराने का आवेदन दिया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने निरस्त किया और पुनः प्रतिपरीक्षण हेतु निर्धारित किया। तब आवेदक ने रजिस्ट्री में फर्जी अगूंठा लगे होने के संबंध में जांच करने का आवेदन प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रतिपरीक्षण पूर्ण होने के बाद प्रकरण अंतिम तर्क में लगने के बाद आवेदक द्वारा धारा 45 का आवेदन दिया गया, जो प्रकरण में विलम्ब करने के उद्देश्य से दिया गया है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्षों के विद्वान अभिभाषकों के तर्क के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 109/110 के अन्तर्गत

नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था जिसपर आवेदक द्वारा दिनांक 4–1–12 को जबाव प्रस्तुत किया गया। इस जबाव दावे में विकय पत्र पर आवेदक के अगूंठा निशानी फर्जी होने संबंधी संबंधी उल्लेख नहीं किया है। अनावेदक के साक्ष्य एवं प्रतिपरीक्षण की कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय में प्रचलित की गई, तब रजिस्ट्री में अगूंठा निशानी फर्जी होने का उल्लेख करते हुये रजिस्ट्री की जांच हेतु आवेदन दिया। इससे अनावेदक अभिभाषक का यह तर्क उचित प्रतीत होता है कि आवेदक प्रकरण में एकबार में सभी प्रकार के तथ्यों को समविष्ठ कर आवेदन प्रस्तुत न करते हुये प्रकरण की कार्यवाही को लंबित करने के उद्देश्य से आवेदन प्रस्तुत कर रहा है। आदेश पत्रिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 6–6–13 को तहसीलदार द्वारा आवेदन की आपत्ति निरस्त करने का आदेश पारित किया है तथा उसमें दिनांक 17–6–13 निर्धारित की गई, जिसमें तहसीलदार के हस्ताक्षर हैं। उसके पहले आदेश पत्रिका में दिनांक 6–6–13 को पेशी में पूर्व के आदेश पालन करने संबंधी लेख रीडर ने लिखा है तथा आगामी तिथि 17–6–2013 लिखी है, परन्तु उस पर तहसीलदार के हस्ताक्षर नहीं है। इसलिए आवेदक का यह तर्क उचित नहीं है कि तहसीलदार ने दिनांक 6–6–13 को सुनवाई न कर आगामी तारीख निश्चित करने के पश्चात आदेश पारित किया है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण अग्रिम कार्यवाही के लिए निर्धारित है इसलिए आवेदक को अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखने एवं गुण–दोषों पर निर्णय कराने का अवसर उपलब्ध है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। नायब तहसीलदार हुजूर सर्किल गोविन्दगढ जिला रीवा का आदेश दिनांक 6–6–2013 स्थिर रखा जाता है।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर